भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 144

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2022

श्री नारायण गुरू मुक्त विश्वविद्यालय

†144. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय कोल्लम केरल में दूरस्थ शिक्षा संचालित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के संचालन के लिए यूजीसी द्वारा दी गई स्वीकृति और अनुमति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूजीसी ने केरल के अन्य विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा को समाप्त करने की अनुमति दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यूजीसी या सरकार को केरल सरकार या केरल के अन्य विश्वविद्यालयों से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को अलग करने और श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): जी, हाँ।

(ख) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय कोल्लम केरल का ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28-05-2022 को प्राप्त हुआ है। आवेदन में कमियां थीं। यूजीसी ने 23-06-2022 को श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय कोल्लम केरल को उनकी कमियों से अवगत कराया।

(ङ) से (ज): यूजीसी ने केरल के अन्य विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी है, इसके अलावा, यूजीसी या सरकार को केरल की राज्य सरकार या केरल के अन्य विश्वविद्यालयों से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को समाप्त करने तथा श्री नारायण गुरू मुक्त विश्वविद्यालय को ऐसे कोर्स आयोजित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

****